

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम -2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के निम्नांकित शिक्षा अधिकारियों को, राज्य सेवा में 10/ 20/ 30 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवाएं पूर्ण करने पर, आश्वासित कैरियर प्रगति ( प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय ) सातवें वेतनमान के अन्तर्गत, पै-मेट्रिक्स एवं लेवल संख्या, निम्न तालिका में कॉलम संख्या 6 से 9 में अंकितानुसार स्वीकृत की जाती है :-

| नाम<br>प्रधानाचार्य                                       | जन्म<br>तिथि   | पदस्थापन<br>स्थान/<br>विद्यालय                                    | प्रथम नियुक्ति पर<br>धारित पद एवं<br>नियुक्ति तिथि |                    | स्वीकृत<br>एसीपी<br>का<br>प्रकार | एसीपी<br>स्वीकृति/<br>दैयता<br>दिनांक | स्वीकृत<br>पै बैंड | स्वीकृत<br>ग्रेड पे |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                           |                |                                                                   | पदनाम                                              | कार्यग्रहण<br>तिथि |                                  |                                       |                    |                     |
| 1                                                         | 2              | 3                                                                 | 4                                                  | 5                  | 6                                | 7                                     | 8                  | 9                   |
| श्री बृजेन्द्र<br>सिंह,<br>(सेवानिवृत्त<br>प्रधानाचार्य ) | 10-10-<br>1959 | शहीद<br>सुबेदार<br>खिल्ला<br>सिंह<br>राउमावि<br>मुहिया<br>मेरठपुर | व्याख्याता                                         | 03-03-<br>1990     | 30<br>वर्षीय<br>(तृतीय<br>एसीपी) | 21-10-<br>2019                        | एल-17              | 6800                |

उपरोक्त अधिकारी का वेतन निर्धारण नियमानुसार, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुरतिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे।



सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई ए एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :: शिविर-माध्य/संस्था/एबी/ए-2/एसीपी/बृजेन्द्र सिंह/2022/4। दिनांक : 30-06-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, सम्बन्धित संभाग।
- 2 सिस्टम एनॉलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
- 4 सम्बन्धित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ नियन्त्रण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारीगण को सूचनार्थ।
- 6 रक्षित/निजी पत्रावली हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर